लगती है। राज्य सरकार की यह क्षमता नहीं है कि वे ऐसे समस्याग्रद ग्रामों में राशि का प्रावधान कर पानी पहुंचा सकें।

केन्द्रीय सरकार के सलाहाकार ने जो बीस सूत्री कार्यक्रम का हवाला देते हुए सभी राज्यों को पीने के पानी की समस्या हल करने के लिए जो दो माह पहले पत्र जारी किया है उसीसे तो रेगिस्तानी क्षेत्रों पर कुठाराघात हुआ है। उक्त पत्र में सिर्फ हैण्ड पम्प की योजनाओं के द्वारा समस्याप्रद ग्रामों की संख्या बढ़ाने की ही प्राथमिकता दी गई है और क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं को स्वीकार न करने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने कई योजनाएं रेगिस्तानी क्षेत्रों की क्षेत्रीय ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें भेजी हैं पर वे मंजूर नहीं की जा रही है।

अतः निर्माण एवं आवास मंत्री से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि वे रेगिस्तानी क्षेत्रों की पानी की योजनाओं को प्राथमिकता दें क्योंकि वहां की समस्या गंभीर से गंभीरतम है। छठी पंचवर्षीय योजना में इन कठिनतम समस्याप्रद ग्रामों में पानी पहुंचाने में केन्द्र सरकार भी त्वरित ग्रामीण जल वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक राशि एलाट करने के लिए आदेश दे।

15.05 hrs.

CHARITABLE ENDOWMENTS (AMENDMENT) BILL

MR. CHAIRMAN: Now the House will take up Item No. 10. I call upon Shri Janardhan Poojary to move the Bill, on behalf of Shri Pranab Mukherjee.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARY): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Charitable Endowments Act, 1890, be taken into consideration."

This Bill seeks to amend the Charitable Endowments Act, 1890, a Nineteenth century enactment, in order to provide for the laying of the rules made under section 13 thereof by the Central Government before Parliament and those made by the State Governments before the respective State Legislatures. This amendment has been sponsored to implement a recommendation to that effect made by the committee on Subordinate Legislation.

MR. CHAIRMAN: Motion moved;

"That the Bill further to amend the Charitable Endowments Act, 1890, be taken into consideration."

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Mr. Chairman, this seems to be a very innocuous Bill, which purports to give effect to a very import recommendation of the Committee on Subordinate Legislation, with regard to the laying of rules on the Table of the House. I had the privilege of being associated with this Committee. We have found that there are various rules which are being made, which Parliament had no occasion to consider, because a provision for laying the rules on the Table of the House, was not included in all

[Shri Somnath Chatterjee]

those enactments. I find Shri Daga is taking interest in the matter and he is trying to see that the Government work according to the very salutary recommendations.

Two things are involved here. Although the recommendation was made quite earlier, quite a few years back, it has taken the Government years and years to bring this simple legislation to incorporate a very important provision. Of course, it is better late than never. It is very essential that this House concerns itself with the compliance by the Government with such important recommendations. I am saying this because there are still a large number of enactments without a provision like this.

The second aspect, to which I want to make a reference, taking advantage of this Bill, is that a number of rules, notifications and bye-laws are being framed or issued in a modern type of State or the welfare society that the hon. Minister is purportedly trying to set up in this country, one cannot avoid subordination legislation; it is obvious. We have a huge number of notifications, rules and bye-laws, which come under subordinate legislation. But the biggest handicap for the people who are being governed by these rules, is that they are hardly available. When I was in this Committee, I tried to raised this matter to it discussed that people are supposed to be violating the laws which are not known to them, because they are not available. In my humble experience, I have seen there are publications by some departments of the relevant rules applicable to the functioning of those departments, which are published with the remark "confidential". It is very important to note that they are not even available to the public.

If one has to develop a sense of law abidingness, if I may use that expression - in the people, then they should be made aware of what the laws are. We hardly have enough time to pass the Bills, or discuss the Bills or legislative enactments in this House. Because of the shortage of time, huge powers, substantial powers, are being delegated to the authorities. One minimum necessity is that Parliament, as the supreme legislative body, should have the power or control over the subordinate legislation. That is being intended to be done by making provision, as we are having today. It has taken years.

The Charitable Endowments Act was passed in 1890. Even after the recommendation of the Committee on Subordinate Legislation, a large number of rules have been framed, but they were not laid on the Table of this House. Even after Independence and even after the last recommendation, various rules had to be framed. These rules are without any legislative scrutiny because they were not to be laid on the Table of this House. There was no provision for that.

Secondly, they are not known to the people. I very seriously implore the Government of India to consider, because of the large number of such rules, bye-laws notifications and regulations which are being framed, that a very serious effort should be made to publish them for public use.

The other thing is that All India statutes are never available uptodate. The Government of India has started publishing a volume called 'India Code' in several parts, but they have never kept pace with the facts. They are published so late, they are never available together for public use. Therefore, this is a very important matter. I would request the hon. Minister to try to take up the matter with either the Law Ministry or the Legislative Department or whatever it is. But this isa matter which should be done.

The other important aspect while we are dealing with the Bill to amend the Charitable Endowments Act, is that it seeks to amend an Act of 1890. Those were the days when

the concept of charity was different. Those were the days when you did not have any Pratibha Pratisthan, there were no Antulays and Gundu Raos then. That is why, when judicially it has been....

MR. CHAIRMAN: Mr. Chatterjee, why do you bring the names of individuals?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: All right, the Chief Minister of Maharashtra and the present, probably temporary, Chief Minister of Karnataka—for the time being, until removed.

SHRI B. V. DESAI (Raichur): Why do you say 'temporary'? Do you intend going there?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: You belong to his group then. I do not know whether Mr. Poojary agrees with you, probably he belongs to some other group. Very well, you are a little allergic.

SHRI B. V. DESAI: I want to straighten the record. That is all.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: It is said that there are politicians who are either aligning themselves with the ruling party at the Centre or getting their blessings, who are innovating new types of charities in this country which the Charitable Endowments Act never thought of. Those are the charities for religious purposes, for charitable purposes, for providing some succour and relief to the poor students etc. etc. Also, in the name of so-called religious charities huge properties were being kept out of the taxation net, many properties kept in the names of deities were being enjoyed by human gods and godesses. These are serious aspects of the so-called religious charitable endowments in this country. The time has come when you give some thought to this. Your inaction in this matter shows that you develop these types of mushroom charities, the so-called charities which are being utilised for political purposes, not for the benefit of, let us say, the weaker sections of the people in this country.

Sir, when the activities of the so-called charitable trusts were discussed in this House, they were stoutly defended by the Government. A stout defence was put up by the Government to uphold the so-called charitable objectives behind the trusts, the functioning of the trusts. Nobody knew who are the beneficiaries. The association of the name of the Prime Minister had to be dis-associated here. You had to publicly proclaim that she was not associated, although her name was openly being branded about for years or months. Now until a judicial forum intervened in the matter, he was making hey even to-day. There is no control over the so-called trust. They are masquerading in the name of charitable trust. Do not think this is only politics, our politics! No. But to-day you have admitted; you have been forced to accept the position that these so-called pretended charitable trusts are not for the benefit of the common people or the so-called objects of the trusts but is sought to be utilised by certain political personages which you are now rejecting, because those persons have lost your good will or blessings. They do not serve your purpose any longer. Now you are decrying the so-called trusts. But so long as he served your purpose, those trusts served your purpose, here the ruling party's purpose, you gave a cover to them. You gave protection to them and the Government of India stood up here to support the so-called trusts. Therefore, the people's faith is also being lost. How can you expect people to have faith? There are many genuine persons who wish to make proper donation or create trusts for the good of the people. There may be some exceptions in this country. I do not know, these days, but they will be those people, those well meaning people....

MR. CHAIRMAN: Only one hour has been allotted for this Bill.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Only one minute.

They will be discouraged in coming forward with their proposals or with their objects of creating trusts because the whole thing is polluted. The concept of charitable trust has become a private charitable purpose, for the purpose of having greater and greater political clout. This is the situation. We should not, in this House, concern ourselves or spend time and public money here only to go through routine matters like this when you are bringing in an amendment to the Charitable Endowment Act of 1890. 90 years old statu'e. Give some thought to it. There are so many matters which require attention. There are so many loopholes which should be plugged. So, nothing is being done. This is a routine thoughtless proposal whicn has come, which should have come many many years back. Probably, Shri Bhishma Narain Singh could not find a worthwhile legislation proposals. To fill up the gap Shri Poojary said this has been pending or a long time. Is this the way Parliament is functioning?

I support this Bill, but request the hon. Minister not to avoid answering by saying I am only concerned with this and nothing more. Why should Chatterjee bring extraneous matters?

MR. CHAIRMAN: Shri Daga. The time allotted for this Bill is only one hour.

श्री मूल चन्द डागा (पाली): सभापति जी, समय तो 1 घंटा है लेकिन संशोधन 30 साल बाद आया है। 30 साल तक कमेटी सरकार का अगर ध्यान दिलाती रही और 30 साल के बाद अमेंडमेंट सरकार पेश करे तो दोष किसका है? किसको गुनाहगार ठहराया जाय?

एक बहुत बड़ी बात हो रही है। हम सारे कानून बनाते हैं और पार्लियामेंट को समय नहीं मिलता। इसलिए सारे कानून हम डेलीगेट कर देते हैं सबोर्डिनेट अथौरिटी को। और उसके बाद उस कानून में कोई प्रोवीजन नहीं है कि वह हाउसज में रखे जायेंगे यह कानून 1890 का बना हुआ है।

उसका सेक्शन 13 यह है—

"The appropriate Government may make rules consistent with the Act."

उसमें कहीं भी यह प्रोवीजन नहीं किया गया है कि इसके लिये जो कानून, रूल्स या बाई-लाज बनाये वे कभी हाउस में रखे जायेंगे, मुझे यह मालूम नहीं हुआ है कि हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा जो आज यह अमेंडमेंट आया है, इस में आज तक नियम बने या नहीं। 1890 के एक्ट के सेक्शन 13 के अन्तर्गत कभी आपने कोई नियम, उपनियम या बाई-लाज बनाये या नहीं? उनको गजट में पब्लिश किया या सदन में रखा या नहीं? आप मेहरबानी कर बतलायें कि इस कानून का इम्पीलीमेंटेशन कैसे हुआ और आप इसे किस प्रकार काम में लाते रहे हैं? क्या कोई आज पूछने वाला है कि पार्लियामेंट की पावर में एन्क्रोचमेंट करके काम चलाते जायें और हम कानून को देखें ही नहीं? पार्लियामेंट ने कई बार अपनी कमेटियें में और सबसे पहले 1952 में ध्यान दिलाया था कि आप कानून बनाकर सदन में रखें—

"Tne Committee are surprised to note that even after 18 years of presentation of the Third Report (First Lok Sabha), such omissions are still being made."

(The Report was presented on 3rd March, 1955.)

1955 में फर्स्ट रिकमेंडेशन थी, उसके बाद भी कई बार रिपीट किया। 30 साल में बराबर कमेटी कहती रही कि जो कानून बनायें उसे सदन में रखें। ड्राफ्ट रूल रखें नहीं जाते, पब्लिक होते नहीं। कोई भी कानून लागू हो जाता है और लोगों को पता नहीं। फिर कहते हैं कि इग्नोरस आफ ला इज नो एक्सक्यूज।

नये मंत्री जी ने जो यह गलती सुधारी है, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। आपने एक्ट में कहा है कि सारी प्रापर्टी का प्रतिवर्ष पब्लिकेशन होगा। इसमें यह प्रावीजन था कि अगर आप पब्लिकेशन करते हैं तो जो प्रापर्टी आपके पास आ गई है उसे बतायें। आज जो न्यास बनते हैं, आजकल पुण्य की आड़ में पाप बहुत होते हैं, नाम धर्म का और होते पाप हैं, यह बड़े-बड़े साधन हैं, जहां पर धन लागाया जाता है।

एक सवाल था कि 1952 के पहले, जो रूल्स और रेगुलेशन बने हुए है 1952 में बनाये गये रूल 234 में लिखा था—

> "Where a regulation, rule, sub-rule, bye-law, etc., framed in pursuance of the Constitution or of the legislative functions delegated by Parliament to a subordinate authority is laid before the House...."

1952 में आपका 234 रूल मौजूद था और 235 में हम लोग अपना औबर्जेक्शन कर सकते थे। आज आप एक छोटा सा अमेंडमेंट ले कर के यहां पर आए हैं न्यास में कोई अमेन्डमेन्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और अभी तक उसका क्या लाभ हुआ है, वह तो बात अलग है आप यहां पर कह दें कि इसका स्कोप बहुत ही छोटा है। दूसरी तरफ इस सदन की कमेटी को सरकार दो-दो साल तक कोई उत्तर नहीं देती है जबकि 6 महीने में उत्तर देने का प्रावधान है। गवर्नमेन्ट हमारे रिमाइन्डर्स की भी कोई परवाह नहीं करती है। हमारे भीष्म नारायण सिंह जी पार्लमेन्टरी एफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्हें यह बात देखनी चाहिए कि पार्लमेन्ट जो कानन बनाती है, उनका प्रापर इंप्लीमेन्टेशन किया जाए। यह सौ साल पुराना ऐक्ट है, मैं जानना चाहूंगा इसके अन्तर्गत कोई नियम वगैरह भी बनाए गए हैं या नहीं। अगर बनाए गए हैं तो मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे। साथ ही उन नियमों की कोई पब्लिसिटी भी हुई है या नहीं? साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आज कितनी प्रापर्टीज आपके कब्जे में है और उस प्रापर्टी का क्या उपयोग हो रहा है? मेरे पूर्व वक्ता बहुत पहले से इस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, मैं तो अभी दो साल से ही चैयरमैन बना हूं। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बात को मैंडेटरी कर दिया गया है कि कानून के अन्तर्गत बनाए गए रूल्स सदन में रखे जायें, एक निश्चित समय के अन्दर रखे जायें और इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं लेकिन वह नियम जब सदन में रख दिए जायें तभी उन पर हमारी कमेटी विचार कर सकती है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बहुत सिफारिशों के बाद जो अमेन्डमेन्ट यहां पर रखा है, उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं कम से कम उनके ध्यान में यह बात आई कि इसमें संबोधन करना चाहिए। जहां तक इन संशोधनों का प्रश्न है, मैं पूर्ण रूप से समर्थन करूंगा कि जो भी नियम बनें वह सदन के समक्ष आने चाहिए और सदन उन पर अपनी राय जाहिर करे। प्रश्न यह है कि यह ऐक्ट 1890 का बना हुआ है;

[श्री राजेश कुमार सिंह]

"An Act to provide for the vesting and administration of property held in trust for charitable purposes."

इसका उद्देश्य यही है कि गरीबों को ज्यादा शिक्षा और चिकित्सा सहायता मिले तथा अन्य उपयोगी कार्य किए जायें लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक ट्रस्टों का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सकती है। आपने सेक्शन (13) में संशोधन किया है लेकिन आप सेक्शन (14) को देखें कि उसमें क्या है :

"No suit shall be instituted against the Government in respect of anything done or purporting to be done under this Act, or in respect of any alleged neglect or omission to perform any duty devolving on the Government under tnis Act, or in respect of the exercise of, or the failure to exercise, any power conferred by this Act on the Government for shall any suit be— instituted against a treasure of Charitable Endowments except for divesting him of property on the ground of this not being subject to a trust for charitable purpose or for making him chargeable with or accountable for the loss of misappropriation of any property vested in him, or the income thereof, were the loss of mis-appropriation has been occasioned by or through his wilful neglect or default."

15-30 hrs.

(SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the chair*]

इस एक्ट के बारे में भी सफाई हो जानी चाहिए। यह एक्ट 1890 के जमाने का बना है। उस जमाने की सरकार यह चाहती थी कुछ बने, लेकिन एसा बने जिससे जिम्मेदार आफिसर को बचाया जा सके। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप को इसमें संशोधन लाना चाहिए। संशोधन करके खामियों को दूर करना चाहिए।

अन्त में, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, अभी मुझ से पूर्व तीन माननीय सदस्यों ने इस बिल पर प्रकाश डाला है। मैं उनकी भावनाओं के साथ हूं और माननीय रंगा जी हम से सहमत होंगे कि आज इस ट्रस्ट की आड़ में कितना कुछ हो रहा है। लेकिन जहां तक हमको जानकारी है, लोग इस ट्रस्ट की आड़ में टैक्स को छुपाने के लिए, काले धन को बचाने के लिए ट्रस्ट को बनाते हैं आफिसर्स की साठगांठ से सरकार की साठगांठ से यह सब चल रहा है। लेकिन इस बारे में हमको आज तक पता नहीं है। चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर हिन्दुस्तान के कितने गरीबों का, कितने हरिजनों का, कितने आदिवासियों का भला हुआ है, जबकि ये ट्रस्ट उन्हीं के नाम पर चलते हैं। हरे राम, हरे राम, हरिजन आदिवासी, गरीब कमजोर वर्ग—लेकिन आज इन लोगों का भला नहीं हुआ है। हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं गरीब-परिवार से आते हैं, मैं चाहूंगा कि वे जवाब दें कि चैरिटेबल ट्रस्ट में कितनी कितनी संपत्ति लगी हुई है। उस संपत्ति से कितने लोगों पर खर्चा किया गया है। इन से गरीबों पर खर्चा किया गया है या ये केवल अपनी रक्षा के लिए हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि ये केवल काले धन को बचाने के लिए एक माध्यम है। टैक्स को छिपाने का एक माध्यम है

इसलिए इसमें निश्चित रूप से, 1890 का जो विधान हैं, इसमें संशोधन ही नहीं, बल्कि इसको नए रूप से सामने लाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से ज्यादा समय न लेते हुए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो संशोधन आप लाए हैं, वह पास हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे पोलिटिकल बिल क्या है। आपकी इच्छा क्या है—यदि आपकी इच्छा साफ है, तो मैं चाहूंगा, दोनों सदनों में दो रायें नहीं होंगी, ट्रस्ट होना चाहिए, लेकिन इसके जो उद्देश्य है जो एम्स हैं, जो आब्जैक्टस हैं, जिनके लिए यह बनाया जाता है, उनके लिए इसको बनाया जाए। न कि अपनी संपत्ति बचाने के लिए न कि टैक्स को बचाने के लिए और न काले धन में वृद्धि करने के लिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 1890 के एक्ट को आप पूरे तरीके से सोच-समझ कर इसमें आप अपना दिमाग में एप्लाई करें, कहीं इसमें कोई दांव-पेच नहीं होना चाहिए। इसको आप इस तरीके से बना दीजिए कि इसमें जो गलत लोग हैं, गलत तत्व हैं, जो समाज के बड़े-बड़े ठेकेदार हैं .... जो ठेकेदार बने हुए हैं और जो धर्म के नाम पर, रिलीजस और चैरिटेबिल ट्रस्ट के नाम पर सारे कुकर्म करते हैं उन को कहीं बचाने का मौका न मिले और प्रशासन के लोग भी इसको छिपाना चाहें तो छिपा न सकें, इस के लिए इस एक्ट में कुछ प्रावधान होना चाहिए था ताकि ये सारी चीजें सामने लाई जा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं मगर दागा साहब ने जिस प्रकार की बात कही कि कानून को पार्लियामेंट के समक्ष पहले लाना चाहिए था, वह ठीक है। इतने वर्षों तक इसको नहीं लाया गया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है और इस वजह से क्या कठिनाइयां लोगों के सामने आई हैं प्रोपर्टी के सम्बन्ध में, यह आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इस का फ़ायदा किसको हुआ है। इसका फ़ायदा राजा महाराजा उठा रहे हैं और बड़े बड़े पूंजीपति उठा रहे हैं। आप यह देखें कि हर जगह चाहे वह भगवान कृष्ण का मन्दिर हो और चाहे राम का मन्दिर हो, बड़े लोगों ने ट्रस्ट बना कर सारी प्रोपर्टी को अपने कब्जे में किया हुआ है और सबसे बड़े ट्रस्टी वही लोग बन गये हैं और उसके सारे पैसे का उपयोग वही करते हैं।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां केला देवी का एक मन्दिर करौली के अन्दर। वह एक धार्मिक स्थान है और करौली के महाराजा उसके ट्रस्टी हैं। करोड़ों रुपये की उसकी आमदनी है। उस करोड़ों रुपये की आमदनी का उपयोग वही आदमी करता है। इस के बारे में अभी राजस्थान की एसेम्बली में भी एक सवाल उठाया गया और कई दूसरे स्थानों पर इस के खिलाफ़ आवाज़ उठाई गई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और उस मन्दिर के पैसे का दुरुपयोग भयंकर रूप से हो रहा है। इसी तरह की बातें अन्य स्थानों पर भी हो रही हैं। कहीं पर किसी राजा महाराजा ने ट्रस्ट बना दिया और कहीं पर किसी और ने और उसके ट्रस्टी बन कर करोड़ों रुपये की सम्पत्ति पर अपना अधिकार जमाए हैं। कहीं पर परिवार के नाम पर चेरिटेबिल ट्रस्ट बना कर सारा फ़ायदा उस परिवार के सदस्य उठाते हैं। न वे प्रोपर्टी टैक्स देते हैं और न वैल्थ टैक्स

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

देते हैं और उसके साथ-साथ उस प्रोपर्टी से जो आमदनी होती है, उस का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए और इस बिल में इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए, जिससे इस तरह की कोई गड़बड़ न हो। पासवान जी ने ठीक ही कहा है कि इस प्रकार को बेईमानी करने वाले लोगों के खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही करने का प्रावधान आप ने इस में नहीं रखा है। अगर ग़लत तरीके से ट्रस्ट की प्रोपर्टी को कोई इस्तेमाल करे, तो उसको पीनल दण्ड मिलना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए और इस तरह की व्यवस्था को मजबूती के साथ लागू किया जाना चाहिए। बहुत से बड़े लोगों ने पैसे का दुरुपयोग करने के लिए ऐसे ट्रस्ट कायम कर रखे हैं। ये ग़रीबों का शोषण करते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं और अपने लिए करोड़ों अरबों रुपयों की सम्पत्ति बना कर एक-दो मन्दिर बना देते हैं और करोड़ों रुपये खर्च करके ट्रस्ट बना कर उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। एक तरफ़ तो ये लोगों का खून पीते हैं और दूसरी तरफ़ ट्रस्ट बना कर और लोगों को फ़ायदा नहीं लेने देते बल्कि ट्रस्ट बना कर सरकार को धोखा देते हैं और आम जनता को धोखा देते हैं। इस तरह से जो पैसा देश के लोगों के काम आना चाहिए, वह पैसा और जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है और फिर उससे ये लोग रंग-रेलियां मनाते हैं। इस प्रकार की चीज को रोकने के लिए कोई माकूल तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक कानून में इस चीज को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा, यह व्यवस्था इसी प्रकार से चलती रहेगी और गड़बड़ होती रहेगी।

मैं आपसे यह भी निवेदन कर दूं कि विदेशी धन भी इस सम्बन्ध में आ रहा है और ट्रस्ट प्रोपर्टी के अन्दर उसका इस्तेमाल हो रहा है और उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उससे कुछ राजनीतिक पार्टियां भी फ़ायदा उठा रही हैं। ट्रस्ट के ऐसे पैसे को ये लोग कहीं जाकर पालीटीकल पार्टियों के लाभ के कामों में लगा रहे हैं। तरह तरह की व्यवस्थायें हो रही हैं। धार्मिक भावनाओं के लिये जो ट्रस्ट बनाये जाते हैं, धर्म प्रचार के लिये जो धार्मिक संस्थायें खड़ी की जाती हैं उनके पीछे उद्देश्य तो धर्म को मज़बूत बनाने का होता है, लेकिन वास्तव में वहां से राजनीतिक दावपेंच खेले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। सरकार को धोखा दे कर टैक्स न देना यही काम इन ट्रस्टों का हो गया है। ऐसी दुकानों को बन्द किया जाना चाहिये। इस प्रकार के चेरिटेबिल ट्रस्ट्स अगर कायम होते हैं तो उसमें सरकार का अधिकारी होना चाहिये ताकि धन का दुरुपयोग न हो सके। आज जो प्राइवेट ट्रस्ट्स बने हुए हैं और प्राइवेट लोग ट्रस्टी बने हुए हैं वह उस पैसे का अपने हितों के लिये दुरुपयोग करते हैं जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को धक्का लगता है और वहां तरह तरह के अनाचार होते हैं। इसलिये कोई न कोई व्यवस्था इस कानून में जरूर रखिये ताकि इन चेरिटेबिल ट्रस्ट्स का ठीक से इंतजाम हो सके। इस संशोधन से कुछ होने वाला नहीं जो काला धन इकट्ठा कर रहे हैं और अपने आपको सम्पत्तिशाली बना रहे हैं उन पर अगर अंकुश लगाना है तो सारे ट्रस्ट्स को सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिये इससे आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस भी नहीं लगेगी और सारी व्यवस्था ठीक चलेगी। इसलिये आप ऐसा बिल लाइये जिससे सारे के सारे चेरिटेबिल ट्रस्ट्स की व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके। यही मेरा निवेदन है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरम) : सभापति जी, मैं इस संशोधन विधेयक का यों तो समर्थन करता हूं । हमारे अन्य मित्रों ने बहुत बातें कही हैं। लेकिन इस चेरिटेबिल ऐन्डोउमेंट बिल को काम्प्रीहेंसिव बिल के रूप में लाना चाहिये था । क्योंकि 30, 35 साल का इसमें अनुभव आया है और अंग्रेजों ने इस बिल को इसलिये बनाया था ताकि उनकी जी हुजूरी करने वाले बड़े बड़े पूंजीपति और कम्पनी वाले बिना टैक्स दिये हुए करोड़ों रुपया अपने काम में ला सकें। आज भी बिड़ला, टाटा, डालमिया आदि के ट्रस्ट्स बने हुए हैं । प्रतिभा प्रतिष्ठान तो नया है और उसी का अनुकरण लोग कर रहे हैं । जितने चैरिटेबिल ट्रस्ट्स बनाये गये थे उसका लाभ गरीब लोगों को नहीं मिला, बल्कि ट्रस्टीज़ ने अपने परिवार के हित में फंड का डाइवर्जन किया। सरकार को सजग हो कर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि इनका लाभ गरीब लोगों को मिल सके ।

धारा 14 में बताया कि उसको उत्तरदायी होना चाहिये सरकार के सामने, उसके अकाउन्ट्स को प्रकाशित करना चाहिये । लेकिन सरकार ने कितने ट्रस्ट्स का हिसाब लिया है ? आज अगर सारे देश में देखा जाए तो ऐसे ट्रस्टों को बहुत बड़ी फहरिस्त होगी और यदि उनकी कार्यवाहियों को देखा जाय तो लगगा कि उद्देश्यों और कारणों से बहुत दूर उनका कार्यक्रम चल रहा है। ठीक उसी तरह जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं । सभी बड़ी कंपनियों ने एक ट्रस्ट बनाकर उसे अपने पारिवारिक हित का औजार बना रखा है । सरकार को एक कंप्रीहैंसिव बिल लाकर न्यायपूर्ण ढंग से जनहित में उसे व्यवहार में लाना चाहिये । ट्रस्ट के जो अधिकारी होते हैं उसमें किसी सरकारी पदाधिकारी का सुपरविज़न या पर्यवेक्षण हो, ऐसा भी संशोधन होना चाहिये । इसके अधीन जितने भी नियम बने, वह सब कानून के अनुसार संसद या विधानमंडल में रखे जायेंगे, लेकिन इतने दिनों तक जो काले धंधे हुए हैं, सरकार के जिन अधिकारियों ने उससे डील किया है, यह विचारणीय विषय है ।

जितने बड़े-बड़े कालेज, इंजीनियरिंग कालेज और अस्पताल बनाये हुए हैं, वहां अगर देखा जाये तो किसी गरीब का बच्चा नहीं पढ़ता है । सभी बच्चे बड़े लोगों के होते हैं जो कि डेढ़-डेढ़ और दो-दो लाख डोनेशन देते हैं। इस तरह से वहां बड़ी राशि प्राप्त होती है। हमारे बिहार में बी॰ आई॰ टी॰ मिश्र रांची में बना है। वहां अगर देखा जाये तो पता लग जायेगा कि कितने हरिजन, आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। अगर इसके आंकड़े निकाले जायें तो एक भी गरीब इनमें नहीं मिलेगा ।

इसी तरह कर्नाटक और मनीपाल में भी मैडिकल कालेज हैं, वहां देख लीजिये कि कितने गरीब बच्चों को वहां चरिटेबल फण्ड से फायदा हुआ ? कहीं भी नहीं मिलेगा। इससे साफ हो जाता है कि यह ट्रस्ट जन-हित में नहीं रहे हैं बल्कि बड़े लोगों के हित में रहे हैं ।

इतने दिनों के बाद जो यह संशोधन लाये हैं, यह श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। इसके साथ-साथ यह भी लाना चाहिये कि निश्चित रूप से उसका फायदा दीन-हीनों को मिलेगा। इसके लिये जब तक प्रावधान नहीं होगा यह बिल किसी काम का, जन-हित का सिद्ध नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसका आश्वासन देंगे ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): सभापति महोदय, सभी प्रमुख बातें यहां कही जा चुकी हैं। मैं सभी वक्ताओं की राय से सहमत हूं केवल 2, 3 बातें और कहना चाहूंगा।

मैंने एक बार पहले यह बात कही थी कि जिस समय कोई बिल पास हो तो बिल के साथ उसके रूल्स भी हाउस के सामने आ जाने चाहियें। आपके अनुभव में आया होगा कि कई बार एक्ट बनता है आधी इंच मोटी किताब का और उसके रूल्स बनते हैं 2 और 4 इंच मोटी किताब के। मैं आपको उदाहरण देता हूं यू० पी० में पंचायती राज एक्ट बना। उसे आप देख लीजिये, मेरा ख्याल है कि मेरी एक उंगली के बराबर मोटा वह एक्ट होगा लेकिन उसके रूल्स कमसे कम 3 इंच मोटी वौल्यूम के है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्यादा बड़े नियम बनाने से लोगों को पता नहीं चलता कि इस एक्ट का इंपलीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन कैसे होगा।

आप रूल बनाकर हमारे हाउस के सामने रख भी दें तो उस समय हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम उसे देख सकें। अगर आप देते भी हैं तो और कामों की वजह से वह दृष्टि से ओझल हो जाता है। हम लोग उसे देख भी नहीं पाते और उनका मनन नहीं कर सकते अपनी राय नहीं दे सकते। आपको स्वयं अनुभव होगा कि कितने रूल्स हाउस की टेबल पर ले किये जाते है और उनमें से एक परसेंट भी हम संशोधन नहीं दे पाते हैं। यह नहीं है कि संशोधन की आवश्यकता नहीं होती बल्कि हमारे पास समय ही नहीं होता कि हम उनको देख पायें। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह एक बुनयादी बात है जो जनहित में है कि जब भी सरकार कोई बिल यहां पर पेश करे तो उसके साथ-साथ रूल्स भी रख दे और एक साथ ही सभी पर डिस्कशन हो जाए। इस प्रकार से रूल मेकिंग पावर दे देने से जाने क्या रूल बनायेंगे? कब यहां पर रखेंगे और यहां पर रखने से पहले ही उनपर काम करते रहेंगे। क्योंकि आपने इसमें लिख दिया है कि भले हाउस में रूल्स ले न हुए हों परन्तु उनके मातहत जो भी काम किया जाएगा वह अल्ट्रावायर्स नहीं होगा। वह काम सही माना जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको मेरा सुझाव मान लेने में क्या दिक्कत हो सकती है? आप तो वैसे ही बिल्स लेट लाने के लिए मशहूर है, दस-दस साल के बाद यहां पर बिल लाते हैं। मैं भी डागाजी की कमेटी का मेम्बर रहा हूं। जो सेक्शन (13) है रूल मेकिंग पावर के सम्बन्ध में उसको आप देखें।

Section 13 (2) The appropriate Government may make rules consistent with this Act for—

(a) prescribing the fees to be paid to the Government in respect of any property vested under this Act in a Treasurer of Charitable Endowments;

अब बगैर फीस तो आज तक कोई ट्रस्ट बना नहीं होगा। आपने इसके लिए रूल्स बनाए होंगे और फीस भी आपने प्रेस्क्राइब की होगी। इसका मतलब यह है कि रूल्स आपने बनाए हैं और उनके अन्तर्गत आप काम करते रहे हैं लेकिन इस बात का कोई पता नहीं कि वह रूल्स इस अधिनियम के स्कोप के बाहर तो नहीं है, कहीं वह रूल्स अनकांस्टीट्यूशनल तो नहीं हैं फिर भी उनके अन्तर्गत काम होता रहा है। इसीलिए मैंने यह सुझाव रखा है कि यदि बिल के साथ ही रूल्स भी यहां पर पेश कर दिए जायें तो वह जनहित में होगा।

एक बात मैं और भी जोड़ना चाहूंगा। यह जो चैरिटेबल ट्रस्ट्स और एंडाउमेन्टस हैं, आप कहीं भी देख लें, इनके साथ कहीं तो गुप्ता का नाम होगा, कहीं डालमिया का नाम होगा, कहीं पदमपत सिहानिया का नाम होगा और कहीं पर बिड़ला, टाटा या साहू जैन का नाम होगा। बाकी जो ट्रस्ट होंगे वह राजा-महाराजाओं के हैं और उनमें से कुछ इस माननीय सदन के सदस्य भी होंगे। कहने का मतलब यह कि किस प्रकार से सरकार की नजर पड़े बिना जायदाद हड़प कर ली जाए--यही सबसे बड़ा उद्देश्य इसके पीछे रहता है। सारे देश में बिड़ला मन्दिरों की लाइन लगी है। पदमपत सिहानिया भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और धर्मशालायें बना रहे हैं।

सभापति महोदय, एक तो कम्पनी होती है पब्लिक लिमिटेड, दूसरी होती है प्राइवेट लिमिटेड और यह अनलिमिटेड कम्पनियां हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत अच्छे-अच्छे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। लखनऊ में एक चन्द्रभान गुप्ता स्मारक ट्रस्ट है। अभी कुछ दिनों पहले अन्तुले जी ने हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम इस्तेमाल किया। इसी प्रकार आचार्य नरेन्द्र देव के नाम से एक ट्रस्ट है और वे क्या करते हैं कि जो आदमी पोलिटिक्स में फेल हो जाए, उसको एक हजार रुपया और एक कार ट्रस्ट से दे दिया करते थे। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि क्या अभी तक इनका कभी स्पेशल आडिट हुआ है? क्या इनका कभी चुनाव हुआ है? इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा गया है।

दूसरी मांग मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग बनाया जाए, जो इस बारे में सारे देश में जानकारी हासिल करे। यदि इनको सजा दी जा सकती हो तो दी जानी चाहिए। तीसरी मांग--दोनों सदनों की एक ज्वाइंट सिलैक्ट कमेटी बनायें, जो आज कल परिस्थितियों को देखकर अपनी रिपोर्ट दे और उसके बाद में अमेंडमेंट किया जाए। यदि इसको निरस्त करके नया बिल लाना पड़े, तो उस दिशा में कदम उठाये जायें।

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

SHRI NARAYAN CHOUBEY (Midnapore): Mr. Chairman, Sir, I support the views which you voiced when you spoke on this Bill. The Government has now brought forward this Amendment to a Bill which is 92 years old. We have to take into consideration the conditions of the society at that time. When you take into consideration the conditions of the society as it exists at present, unless you make changes as per the requirements of the present day society, all these amendments will be meaningless. As suggested by friends including those from that side, and as voiced by you, Mr. Chairman, these trusts and these trust funds are being used by many political racketeers and even the ruling party has come to this conclusions because they too have been compelled to take action against all these rackteers. Of course Government never takes any action until the High Court or the Supreme Court comes upon these racketeers. These people go on enjoying and exploiting these trust property funds till action is taken against them. I do feel, just as some of hon. friends who spoke earlier, felt, that you should bring

[Shri Narayan Choubey]

out full and complete amendments, lock, stock and barrel, to meet the changing needs of society. Also it is my suggestion that the Government should form a Select Committee, consisting of Members from both the Houses, which should go into the provisions of the entire Bill and suggest amendments for the total and complete changes which are vital, as this Act is a very old Act and has become outdated. Of course the Government has brought forward this small amendment after a long number of years, but it will not be able to touch even the fringe of the problem. Therefore I request the Government to form a Select Committee which should be entrusted with the task of framing a new Bill in this regard. With these words neither, I support nor I oppose this Bill. But since you have brought an amendment to this Act, after a long number of years, I support the desire and the cause for bringing forward this Bill by the hon. Minister.

16 hrs.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): Mr. Chairman, Sir, I have heard with rapt attention the suggestions made by the hon. Members including those of yours when you spoke on this Bill. In fact, valuable suggestions have been made but unfortunately the discussion on this Bill is limited. I may be pardoned for submitting that somehow the hon. Members referred to the Indian Trust Act, Public Trust Act and also the Acts coming under the Registration of Societies Act. I am not going into the detail of all these suggestions. But so far as the scope of this Act is concerned, as you know, this Act was passed in the year 1890 and this is the 19th Century Act. The present Bill seeks to amend the Charitable Endowment Act, 1890 in order to provide for laying of the rules before the Parliament and also before the Legislatures and also to provide for the publication of this Act in the official Gazette.

Sir, when you spoke on this Bill, you had stated that it had a salutary recommendation. I fully agree with you that it should have been brought forward much earlier. Anyway, as you have submitted, it has been brought forward at least now and you have congratulated the Government for bringing this Bill even though it is late. I may submit one fact that still there is an opportunity for this Parliament and by virtue of this amendment to Section 13 of the Charitable Endowment Act—you may kindly go through the amendment to the Section 13—both the Central as well as the State Government.

I have got powers to make rules consistent with the Act. But the Parliament as well as the State Legislatures, by virtue of this amendment to this Act, has got the power to review the rules or to nullify the rules made by the Executive if they are not essential and if they are not for the benefit and welfare of the people. The Parliament, by virtue of this Act, has also got the power to restrict the rules. It has been pointed out by the hon. Member, Shri M. C. Daga, that the rules were not made so far. But the rules were made in the year 1942 and the rules were published in that year and I may add that these are embodied in the General Government Compilation of General Financial Rules. The rules were made on the 31st March 1942. Its Notification No. is 84/42 dated 31st March 1942. Then there were amendments to these rules in the year 1981. Even though there was no specific provision in the Act, they were published in the Official Gazette in the year 1981. These amendments were also laid on the Table.

Another point was mentioned about the number of endowments. Presently, the properties of 90 endowments of the face value of Rs. 10.45 crores are vested in the Central Treasurer. These include, the National Founda-

tion for Teachers Welfare—5.94 crores War Bereaved and Disabled Servicemen Special Relief Fund—2.00 crores; National Children's Fund—50 lakhs Indian Peoples Famine Trust—33 lakhs. The funds are mostly invested in the 5-year Post Office Time Deposits carrying interest at the rate of 10.77 per cent. This interest income is exempt in the case of endowments under Section 11 of the Income Tax Act.

A few more points were also raised during the discussion on this Bill. As you know, by virtue of this amending Bill, there could be wide publicity as suggested by the hon. Members. Publicty should be given otherwise people will not e in a position to know about the laws and rules in force in the country. I share the views and the concern of the hon. Members. I fully agree with them that this ought to have been implemented earlier. Anyway, the Government has come forward to implement the salutary recommendation of the Committee on Subordinate Legislation now:—

Then, Sir, a number or deficiencies and loopholes have been brought forth so far as the main charitable Endowments Act is concerned. I would only submit that if it is found necessary to bring forward any amendment, the Government will definitely do so by bringing either a Comprehensive Bill or some amendments. There should not be any doubt about it. But it is for the hon. Members and the people of this country to say that the present Act is not sufficient and that some more provisions should be included. As I said some rules were framed in 1981 which amended the earlier rules of 1942, as it was felt necessary at that time.

With these words, I conclude and once again thank the hon. Members for having taken interest in this Bill and for having given their valuable suggestions. I am most grateful to them for this.

SHRI MOOL CHAND DAGA: Within how many days will the the rules framed under the Act be placed on the Table of the House?

SHRI JANARDHANA POOJARY: These will be placed as early as possible. There will not be any difficulty. I mean business when I say this, definitely, I will not take much time.

SHRI MOOL CHAND DAGA: Please tell us definitely, not as early as possible.

MR. CHAIRMAN: In this century.. It will be done; he said that he would look into it. We should accept the assurance of the hon. Minister.

The question is:

"That the Bill furthter to amend the Charitable Endowments Act, 1890, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bills.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI IANARDHANA POOJARY: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

—